राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, दिनांकः मई 01, 2025

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 9) की धारा 4 की उप–धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(30) वित्त/कर/2018–49 दिनांक 06.10.2023 (यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि राज्य कर के विशेष/अतिरिक्त आयुक्त जो नीचे वर्णित सारणी के स्तम्भ संख्या 2 में अंकित पदों पर पदस्थापित हैं, का अधिकारिता क्षेत्र उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्या 3 में वर्णित अनुसार होगा।

सारणी

क्र. सं	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3
1.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर–प्रथम, जयपुर	1. निम्नलिखित वाणिज्यिक कर संभागों के वर्णित वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें :– (क) वाणिज्यिक कर संभाग जयपुर–प्रथम के समस्त वृत्त। (ख) वाणिज्यिक कर संभाग जयपुर–चतुर्थ के वृत्त–ए एवं वृत्त–बी। 2. राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों/व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलें।
2.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर–द्वितीय, जयपुर	1. राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों /व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलों को छोड़कर निम्नलिखित वाणिज्यिक कर संभागों के वर्णित वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें :– (क) वाणिज्यिक कर संभाग जयपुर–द्वितीय के समस्त वृत्त (राजस्व जिला टोंक को छोडकर)। (ख) राजस्व जिला दौसा। (ग) वाणिज्यिक कर संभाग जयपुर–चतुर्थ के वृत्त–सी, वृत्त–डी, वृत्त–ई एवं वृत्त–एफ।
3.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर–तृतीय, जयपुर	राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों /व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलों को छोड़कर निम्नलिखित वाणिज्यिक कर संभागों के वर्णित वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें :– (क) वाणिज्यिक कर जयपुर संभाग–तृतीय के समस्त वृत्त। (ख) वाणिज्यिक कर जयपुर संभाग–चतुर्थ के वृत्त–जी एवं वृत्त–एच। (ग) राजस्व जिला सीकर।
4.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, अलवर	1. निम्नलिखित वाणिज्यिक कर संभागों के वर्णित वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें :– (क) वाणिज्यिक कर अलवर संभाग के समस्त वृत्त (राजस्व जिला दौसा को छोडते हुए)।

		(ख) वाणिज्यिक कर भिवाड़ी संभाग के समस्त वृत्त।
5.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, अजमेर	1. निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला अजमेर। (ख) राजस्व जिला नागौर। (ग) राजस्व जिला भीलवाड़ा। (घ) राजस्व जिला ब्यावर (राजस्व तहसील रायपुर एवं जैतारण को छोडते हुए)। (ड) राजस्व जिला डीडवाना–कुचामन।
6.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जोधपुर	1. निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला जोधपुर। (ख) राजस्व जिला बाड़मेर। (ग) राजस्व जिला जैसलमेर। (घ) राजस्व जिला पाली। (ड़) राजस्व जिला जालोर। (च) राजस्व जिला सिरोही। (छ) राजस्व जिला फलौदी। (ज) राजस्व जिला बालोतरा। (झ) राजस्व तहसील जैतारण एवं रायपुर (जिला ब्यावर)।
7.	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, भरतपुर	1. निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला भरतपुर। (ख) राजस्व जिला धौलपुर। (ग) राजस्व जिला सवाईमाधोपुर। (घ) राजस्व जिला करौली। (ड़) राजस्व जिला डीग।
8	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, उदयपुर	1. निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला उदयपुर। (ख) राजस्व जिला बांसवाड़ा। (ग) राजस्व जिला डूंगरपुर। (घ) राजस्व जिला चित्तौड़गढ़। (ड़) राजस्व जिला प्रतापगढ़। (च) राजस्व जिला राजसमंद। (छ) राजस्व जिला सलूम्बर।
9	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, बीकानेर	1. निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला बीकानेर। (ख) राजस्व जिला चुरू। (ग) राजस्व जिला झुंझुनू। (घ) राजस्व जिला हनुमानगढ़। (ड़) राजस्व जिला श्रीगंगानगर।

10	अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, कोटा	1. निम्नलिखित जिलों के क्षेत्र में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें:– (क) राजस्व जिला कोटा। (ख) राजस्व जिला बूंदी। (ग) राजस्व जिला बारां। (घ) राजस्व जिला झालावाड़। (ड़) राजस्व जिला टोंक।

यह अधिसूचना दिनांक 29.12.2024 से लागू होगी।

[प.12(30)/वित्त/कर/2018–02]
राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण राजपत्र के भाग–4 (ग) में प्रकाशन करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान)।
3. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव